सं. –ए.-50014/1/2016-प्रशा.-।। (2497)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

5वां तल, सरदार पटेल भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 20 दिसम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत सक्रिय प्रकटीकरण दिशा-निर्देश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता अधिकारी की नियुक्ति ।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर मुख्य सूचना आयुक्त के दिनांक 9 दिसम्बर, 2010 के अ.शा.पत्र सं. सीआईसी/एटी/डी/10/000111/2 का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री वी. श्रीनिवास, अपर सचिव को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सक्रिय प्रकटीकरण दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता अधिकारी नामित किया गया है ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8) (क) द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग में निहित अधिकारों के अनुसार आयोग ने लोक प्राधिकरण को निदेश दिया है कि लोक प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्यकलाप के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन किए जाने का दायित्व निर्दिष्ट करें ।

3. पारदर्शिता अधिकारी के मुख्य कार्य संक्षिप्त रूप में इस प्रकार बताए जा सकते हैं – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के प्रावधानों के सक्रिय एवं प्रभावी कार्यान्वयन के जरिए लोक प्राधिकरण में संस्थागत पारदर्शिता को बढ़ावा देना । इनमें प्रभावी अभिलेख प्रबंधन, रेकॉर्ड नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण और वृद्धि संबंधी सक्रिय प्रकटीकरण शामिल हैं । इसके साथ-साथ आरटीआई आवेदनों के निपटान की उच्च प्राथमिकता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी शामिल है।

4. सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अनुमोदन से जारी ।

अ.कु.साह
(अजीत कुमार साह)
सीपीआईओ एवं अवर सचिव, भारत सरकार
फोन : 23401441
ईमेल : as.sah@nic.in

केन्द्रीय सूचना आयुक्त
(ध्यानार्थ : श्री पीयूष अग्रवाल, रजिस्ट्रार),
सीआईसी, भवन,
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका
नई दिल्ली - 110067